750 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

भारत

सात सौ पचास रुपया SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

SEAL OF THE SUB - REGISTRAR ... OF UJJAIN

स्टाम्प इयूटी रु. २८००.००

विक्रय बिलेख पत्र आराजी ग्राम चन्देसरीपरगना व जिला उज्जैन

मूल्यांकन रुपये ८००००.०० अस्सी हजार रुपये केवल.

विक्रेता - श्री मोतीसिंह आत्मज रामसिंह जाति महाजन नागर आयु ५६ वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम चन्देसरी परगना व जिला उज्जैन.

क्रेता - श्री अपस्टोलिक एक्सार्केट ऑफ उज्जैन (APOSTOLIC EXARCHATE OF UJJAIN). द्वारा अपस्टोलिक एक्सार्क (APOSTOLIC EXARCH) मोण्सिंजोर जॉण पेरूमट्टम, देवास रोड उज्जैन.

यह विक्रय विलेख सोमवार दिनांक १ दिसम्बर १९६९ को मोतीसिंह आत्मज रामसिंहजी जाति महाजन नागर निवासी ग्राम चन्देसरी परगना व जिला उज्जैन, जिन्हें आगे विक्रेता सम्बोधित किया गया है, तथा श्री अपस्टोलिक एक्सार्केट ऑफ उज्जैन धार्मिक संस्थान जिसका - प्रतिनिधित्व अपस्टोलिक एक्सार्क मोण्सिंजोर जॉण पेरूमट्टम निवासी देवास रोड उज्जैन द्वारा किया जा रहा है तथा जिन्हें आगे क्रेता संबोधित

क्रमशः....२

मुद्रांक अधि नियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 2000.00
पंचायत | अधि नियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क —
नगर पालिका |
अधिक ली गई, शुल्क —
योग 2000.00

मोतीसिंह पिता रामसिंह महाजन नागर गाम चन्देसरी जि० उज्जैन

द्वारा उप-जिला उज्जैन जिला उज्जैन के उप-पंजीयक के कार्यालय में तारीख 9.12.1998 को म० पू०/म० प० .... बजे प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक उज्जैन
9-12-98

Sub-Registrar
UJJAIN (M.P.)

मोतीसिंह पिता रामसिंह महाजन नागर गाम चन्देसरी जि० उज्जैन

जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं स्वीकार करते हैं कि तथाकथित बयनामा विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूरे/आंशिक रु० .... प्राप्त होगये तथा 80,000 अस्सी हजार रुपये का चेक SB/16 825385 30-11-98 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से मेरी उपस्थिति में चुकाए गए थे और प्रतिफल की बकाया रकम यथा .... बच गई है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी। आज तारीख 9.12.1998 मोनासिलीर जोन फ्रीगंज ब्रांच उज्जैन द्वारा

(1) बेगदास पिता रावत किशन महाजन नईसड़क उज्जैन, दलाली

(2) जोसफ डेविडसन लटन पिता वाल्टर डेविडसन लटन जाति ईसाई पादरी डेपोडेड पचपेड़ा रोड उज्जैन

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्ता की शिनाख्त के विषय में की गई।
आज तारीख 9.12. 1998

9-12-98
उप-पंजीयक

750 Rs

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. R̄s 750

भारत

सात सौ पचास रुपया SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

SUB-REGISTRAR OF UJJAIN
उप पंजीयक उज्जैन

किया गया है के मध्य सम्पादित हुआ.

यह कि विक्रेता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी खाता नम्बर ५१ की किता ५ रकबा १३८ बीघा ३ बिस्वा लगानी रुपये १९५.९३ पैसे का ग्राम चन्देसरी परगना उज्जैन मे स्थित है. शासन की चक बंदी योजना के अन्तर्गत उक्त पूर्ण आराजी का चक विक्रेता के नाम पर कायम हुआ होकर निर्धारित चक का निर्विवाद एवं सहित - आधिपत्य विक्रेता को प्राप्त हुआ है. विक्रेता ही इस आराजी पर बहैसियत भूमि स्वामी दाखिल व काबिज चला आ रहा है. विक्रेता के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है. - विक्रेता ही एकमेव इस आराजी का स्वामी होकर उसे इस आराजी को अन्तरित करने के हर प्रकार के स्वत्व प्राप्त है और चूंकि मुझ विक्रेता को खानगी एवं व्यक्तिगत कार्य के लिये रुपयों की आवश्यकता होने से विक्रेता ने ग्राम चन्देसरी मे स्थित कृषि आराजी खाता नम्बर ५१ पैकि आराजी सर्वे नम्बर १४ रकबा ५० बीघा लगानी रुपये २८ दी अपोस्टोलिक एक्जार्केट ऑफ उज्जैन धार्मिक संस्था जिसका प्रतिनिधित्व अपोस्टोलिक एक्जार्क - मोन्सिंजोर जॉन पेरुमट्टम करते है को विक्रय मूल्य रुपये ८००००.०० अस्सी हजार रुपये जिसके आधे चालीस हजार रुपये ४००००.०० होते है, विक्रय करके कर इस करार के अनुसरण मे विक्रेता ने क्रेता से एक ड्राफ्ट बैंक क्रमांक B/826385 18 एम बी/१८ : ६२५३८५ दिनांक ३०-११-६९ का रुपये अस्सी हजार ८००००.००

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्त्ता मोतीसिंह के अंगूठे
का निशान मेरे समक्ष ता० 9-12-68
१९६ को किया गया

उप-पंजीयक

Fr. Joseph Karikilamchadam

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रू.　Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया　FIVE HUNDRED RUPEES

SUB-REGISTRAR UJJAIN
उप पंजीयक उज्जैन

रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया, ब्रांच उज्जैन का श्रीमान उप पंजीयक महोदय उज्जैन के समक्ष प्राप्त किया है. इस प्रकार विक्रीत कृषि आराजी का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य अस्सी हजार रुपये की प्राप्ति चेक द्वारा कर ली है. तथा उक्त वर्णित कृषि आराजी क्रेता के हक्क में एतद् द्वारा पूर्ण रूप से अन्तरित तथा समनुदेशित करता है. विक्रय मूल्य की कोई रकम अब क्रेता से विक्रेता को लेना शेष नहीं है. यदि विक्रेता आयंदा कमी कम अदायगी या अदम अदायगी का उज्र करे तो वह इस विक्रय विलेख की तुलना मे नाजायज एवंम् निष्प्रभावी समझा जावे.

यह कि उक्त वर्णित कृषि आराजी के सम्बन्ध मे जो भूमि स्वामी तथा दाखली तथा खारजी के स्वत्व मुझ विक्रेता को प्राप्त थे उन सभी स्वत्वो सहित उक्त आराजी क्रेता के हक्क मे अन्तरित कर क्रेता को उक्त आराजी का वास्तविक आधिपत्य मोके की नपती करा कर तथा हद हदूद बता कर करा दिया है. इस आराजी पर जो ज्वार की फसल खडी है उसका मोके का पंच नामा कर तदनुसार विक्रेता ने खडी फसल की - कीमत क्रेता को अदा कर दी है व इस सम्बन्ध मे अब कुछ लेना शेष नहीं है. ज्वार की यह फसल पकने पर उसे विक्रेता कटवा लेवेगा. इस आराजी मे विक्रेता द्वारा जो गेहूँ की फसल बोआई गई है उसके बिजवारे व बुआई की रकम विक्रेता ने क्रेता से पृथक से प्राप्त कर ली है व इस पेटे अब कुछ लेना शेष नहीं है. व गेहूँ की यह खडी फसल क्रेता की है. तात्पर्य यह है कि विक्रेता ने इस आराजी पर जो फसल खडी है, उस फसल सहित

क्रमशः ४

CamScanner

1506

OF THE S

INDIA NON JUDICIAL

500 Rs.

५००रू. Rs.500

भारत

पाँच सौ रूपया FIVE HUNDRED RUPEES

S - REGISTRAR
उप पंजीयक
उज्जैन
UJJAIN

वास्तविक आधिपत्य क्रेता को उक्त शरायतो के अनुसार दे दिया है. आज से विक्रीत आराजी से मुझ विक्रेता का तथा संबंधियो व वैद्य प्रतिनिधियों का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा. ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के अन्तर्गत जो स्वत्व एक क्रेता को प्राप्त होते है वे समस्त स्वत्व विक्रीत इस आराजी के सम्बन्ध मे आज से क्रेता को प्राप्त होगें. क्रेता अब आगे भविष्य मे इस आराजी को अपने स्थावर द्रव्य (CHATTEL)और संपति के रूप मे धारण, उपयोग और उपभोग करें उसमे विक्रेता अथवा अन्य किसी व्यक्ति को बाधा, अडचन, दावा या मांग करने का कोई स्वत्व नहीं होगा.

यह कि विक्रीत उक्त आराजी सभी प्रकार के मताल्बे, कर भारो, दावो या मांगो से मुक्त है. विक्रय दिनांक तक समाप्त होने वाले कृषि वर्ष का लगान नगद विक्रेता द्वारा अदा किया जा चुका है. यदि विक्रय दिनांक पूर्व के किसी मताल्बे या करो या भारो के बारे में भविष्य मे कोई मांग हो तो विक्रेता उसका देनदार होगा व ऐसे किसी भी कर भार या मताल्बे का दायित्व विक्रेता के आधिपत्य मे स्थित उसकी अन्य संपति या आराजी पर होगा व क्रेता द्वारा क्रय किये जा रहे इस आराजी का उससे कोई संबंध नहीं रहेगा. अर्थात विक्रीत यह आराजी ऐसे सभी कर मताल्बे दावो या मांगो से उन्मुक्त रहेगी. विक्रीत आराजी किसी - न्यायालय या किसी व्यक्ति की डिक्री या संधारणाधिकार (LIEN) के अधीन नहीं है. यदि किसी कारण उक्त आराजी के सम्बन्ध मे कोई

क्रमश: ५

CamScanner

[illegible]

CamScanner

200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रू. Rs 200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

कर या उप कर अथवा किसी मतालबे या भार का दायित्व विक्रेता का क्रेता को वहन या सहन करना पडे तो क्रेता को यह हक्क होगा कि वह ऐसा समस्त व्यय विक्रेता की जात व जायदाद से मय व्याज व खर्चे के वसूल करें.

यह कि ग्राम पंचायत क्षेत्र मे स्थित इस आराजी मे कोई कुआ या बावडी नहीं है केवल पानी की एक नहर है. इस भूमि मे स्थित नहर का मुआवजा शासन से विक्रेता को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. यदि विक्रय दिनांक के उपरान्त शासन से इस नहर की भूमि का कोई मुआवजा विक्रेता को प्राप्त हुआ तो वह मुआवजा विक्रेता द्वारा क्रेता को अदा कर दिया जावेगा व विक्रेता को मुआवजे की यह रकम स्वयंम् रखने का कोई स्वत्व नहीं होगा.

यह कि विक्रीत इस आराजी मे किसी का कोई रास्ता नहीं है तथा न ही यह आराजी किसी को बटाई पर दी गई है और न ही इसके अन्य कोई हिस्सेदार है और यह आराजी किसी भी व्यक्ति को उप-कृषक : शिकमी : स्वत्व पर नहीं दी गई है और न ही किसी व्यक्ति को इस आशय के स्वत्व प्राप्त है. इस आराजी मे स्थित समस्त वृक्ष दाखिल बय है.

क्रमश : ६

[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

1508
[illegible] [illegible]

SEAL OF THE S

CS CamScanner

75Rs.

पचहत्तर रुपया

भारत

INDIA

SEVENTY FIVE RUPEES

७५रू.

75Rs

यह कि विक्रेता और उसके अधीन दावा करने वाले अन्य सभी वैध व्यक्ति आगे भविष्य मे सभी समय क्रेता के खर्चे पर सभी ऐसे वैध कार्यों, विलेखों और चीजो को करेगा और निष्पादन करेगा और करायगा जिससे उक्त विक्रीत आराजी का क्रेता और उसके प्रतिनिधियों के पक्ष में पूर्ण रूपेण हस्तान्तरण हो जावे और वे तथा उनके वैध प्रतिनिधि पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जावे और इस विलेख के वास्तविक अभिप्रायों और -अर्थों मे उन्हें पूर्ण स्वत्व प्राप्त हो जावे. क्रेता को यह अधिकार होगा कि वे शासकीय कागजात मे उक्त विक्रीत आराजी के स्वामित्व पर से विक्रेता का नाम कम करवा कर स्वयं का नाम अंकित करवा लेवे. तथा -अनुपातिक लगान निर्धारित करवा लेवे नामान्तरण तथा तत्संबंधी अन्य कार्यवाही मे विक्रेता बिना किसी आपत्ति के क्रेता को पूर्ण सहयोग करेगा.

यह कि विक्रीत यह आराजी पूर्णतया विक्रेता के भूमि स्वामी स्वत्व की है. यदि विक्रेता की किसी स्वत्व की त्रुटि अथवा गलत बयानी के कारण उक्त विक्रीत आराजी के स्वत्व एवं आधिपत्य से क्रेता को कभी वंचित होना पडे तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वे विक्रय धन मय व्याज एक रूपया प्रतिशत प्रतिमाह की दर से मय हर्जे खर्चे के विक्रेता अथवा उसके प्रतिनिधियों या समनुदेशीतो की जात व जायदाद से वसूल करे इसमे विक्रेता अथवा उसके प्रतिनिधियों व समनुदेशितो को कोई आपत्ति नहीं होगी. इस विक्रय विलेख की समस्त शर्तें मुझ विक्रेता तथा मेरे प्रतिनिधियों एवंम् समनुदेशितो पर पूर्णतया बंधनकारक होकर पालनीय होगी.

यह कि विक्रीत आराजी के संबंध मे मुझ विक्रेता के पास उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात : DOCUMENTS. : मैने क्रेता को सौंप दिये है. इसके अतिरिक्त अब कोई दस्तावेज विक्रेता के पास नहीं है. विक्रीत

क्रमशः ७

[illegible] — [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

1509
[illegible] — [illegible]

SEAL OF THE S

25 Rs.

पच्चीस रुपया

भारत INDIA

२५रू. 25RS

TWENTY FIVE RUPEES

पृष्ठ क्रमांक ७

आराजी के सम्बन्ध मेपूर्ण स्थिति आदि से विक्रेता ने क्रेता को व्यक्तिश: पूर्णतया अवगत करा दिया है.

अतएव उपरोक्तानुसार ग्राम चन्देसरी परगना व जिला उज्जैन की खाता नम्बर ९१ पैकि आराजी सर्वे नम्बर १४ रक्बा १० बीघा लगानी बरूये रेट के सम्बन्ध मे विक्रय विलेख राजी खुशी व स्वेच्छा से तथा पूर्ण विक्रय मूल्य रुपये ८००००.०० अस्सी हजार रुपये प्राप्त कर सोच समझकर तथा बिना किसी प्रकार का मादक द्रव्य सेवन किये स्वस्थचित होकर बिना किसी दबाव के संपादित कर दिया व अभिस्वीकृति की पुष्टि मे साक्षीयों के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये सो सनद रहे और आवश्यक्तानुसार काम - आवे. इति दिनांक १-१२-१९६९ ई. मिती अगहन विदी ७ संवत् २०२६ वि. स्थान उज्जैन.

मेरे द्वारा तैयार किये गये प्रारूप अनुसार मेरे निर्देशन मे - टाईप किया गया.

: मधुकर अष्टपुत्रे : 1/12/69
एडव्होकेट

हस्ताक्षर विक्रेता ---------

साक्षी Fr. Joseph Karikilamthadam
(फादर जोसफ कारिकिलंतडम)

साक्षी -----------------------

1510

आज तारीख. 9 ... मार्च ... 1988

19 को पुस्तक क्रमांक ... 1 ...

खंड ... 1116 ... के ... 83 ... पृष्ठ 82

... क्रमांक ... 2698 ...

पर रजिस्टर पंजीयित किया गया।

उप-पंजीयक

SEAL OF THE SUB-REGISTRAR OF UJJAIN

मुद्रा उप पंजीयक उज्जैन

स्टाम्पड्यूटी ..2800/-..

रजिस्ट्रेशन शुल्क ..269..

प्रति – प्रस्ता शुल्क ..1-40..

विलंब शुल्क ..8-40..

[illegible] ....

363

Sub-Registrar
UJJAIN (M.P.)